विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0–लैज–गवर्नमैंट बिल/1–58/2012.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 44) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––

2012 का विधेयक संख्यांक 44

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास वस्तुएँ कर संशोधन विधेयक, 2012

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर अधिनियम,1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 14 जून, 2012 को प्रवृत हुआ समझा जाएगा ।

2. **नई धारा 6–ङ का अन्तः स्थापन**.–हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 की धारा 6–घ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

"6–ङ. जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में नए होटलों के स्वत्वधारियों द्वारा विलास–वस्तु कर का संदाय करने से छूट की बाबत विशेष उपबन्ध.–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की यह राय है कि राज्य में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के आशय से ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, तो वह एक स्कीम अधिसूचित कर सकेगी तथा प्रथम अप्रैल,2012 के पश्चात् जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में प्रर्वतन में आए नए होटलों के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों को होटल के प्रवर्तन में आने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विलास–वस्तु कर का संदाय करने से, ऐसे निर्वन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, जैसी उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेगी ।

(2) धारा 4 की उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे नए होटलों का कोई भी स्वत्वधारी, उस अवधि, जिसमें उपधारा (1) के अधीन छूट प्रवर्तन में रहती है, के दौरान ऐसे नए होटलों में उपलब्ध करवाई गई विलास–वस्तु के लिए, विलास–वस्तु कर के रुप में किसी राशि का संग्रहण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरणः–इस धारा के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(i) जिला लाहौल एवं स्पिति,

(ii) चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल,

(iii) रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र,

(iv) जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट,

(v) कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना,

(vi) कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल के बड़ा भंगाल के क्षेत्र,

(vii) जिला किन्नौर,

(viii) सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त; और

(ix) मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गुसैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–हड़वानी, हस्तपुर, ग्रामचार और भटेनहर पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा, उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।"।

3. 2012 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां.–(1) हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर संशोधन अध्यादेश, 2012 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में ग्रामीण पर्यटन और जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने तथा दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में आरामदायक होटल प्रसुविधाएँ और सेवाएँ उपलब्ध कराने के आशय से, राज्य में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में नए होटलों को, ऐसे होटल के प्रवर्तन में आने की तारीख से, दस वर्ष की अवधि के लिए विलास– वस्तु कर से छूट प्रदान करने का विनिश्यच किया गया है । इसलिए, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर अधिनियम,1979 को संशोधित करना आवश्यक हो गया है, ताकि राज्य सरकार को

विलास–वस्तु कर से छूट के ऐसे प्रोत्साहन की व्यवस्था करने हेतु स्कीम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाया जाए ।

क्योंकि विधानसभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर अधिनियम,1979 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए, महामहिम, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर संशोधन अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक 2) को 8 जून,2012 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 जून, 2012 को प्रकाशित किया गया था । अब अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धूमल),
मुख्यमंत्री ।

शिमला
तारीख.....2012.

————————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर, राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना, विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जांएगे ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–– शून्य––

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 44 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into forece on 14th day of June, 2012.

2. Insertion of new of section 6-E.—After section 6-D of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, the following new section shall be inserted, namely:—

"6-E. *Special provisions relating to exemption from payment of luxury tax by proprietors of new hotels in tribal and hard areas*.— (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is of the opinion that in order to promote tribal and hard area tourism in the State, it is necessary and expedient, in the public interest so to do, it may notify a scheme, and exempt the registered proprietors of new hotels in tribal and hard areas come into operation after 1st April, 2012 from the payment of luxury tax for a period of ten years from the date the hotel commences operation, subject to such restrictions and conditions as may be specified in the said scheme.

(2) Notwithstanding anything contained in sub- section (6) of section 4, no proprietor of such new hotels shall, during the period when the exemption under sub-section(1) remains in force, collect any sum by way of luxury tax for the luxury provided in such new hotels.

Explanation.—For the purpose of this section tribal and hard area means,-

(i) District Lahaul and Spiti,

(ii) Pangi and Bharmour Sub-division of Chamba District,

(iii) Dodra Kawar Area of Rohru Sub-division,

(iv) Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Kashapat Gram Panchayat of Rampur Tehsil of District Shimla,

(v) Pandrah Bis Pargana of Kullu District,

(vi) Bara Bangal Areas of Baijnath Sub-division of Kangra.

(vii) District Kinnaur,

(viii) Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District, and

(ix) Khanyol- Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Hadhwani, Hastpur, Ghamrchar and Bhatenhar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.".

3. Repeal of Ordinance No. 2 of 2012 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance,2012 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to promote rural tourism and tribal tourism in the State and to provide comfortable hotels facilities and services in hard and tribal areas, it has been decided to provide exemption from luxury tax to new hotels in tribal and hard areas in the State for a period of ten years from the date such hotel commences operation. As such, it has become essential to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, to empower the State Government to notify a scheme for providing such incentive of exemption from luxury tax.

Since, the legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act,1979 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance,2012 (Ordinance No. 2 of 2012) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor of Himachal Pradesh on 8th June,2012, which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 14th June,2012. Now, the Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Shimla:
The……2012

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-